अध्याय X : ग्रामीण विकास मंत्रालय

10.1 स्रोत पर कर की गैर-कटौती

पीएसयू के एक संघ द्वारा प्रदत्त व्यवसायिक तथा तकनीकी सेवाओं हेतु 10 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹7.21 करोड़ के कर की गैर कटौती में हुई।

आयकर अधिनियम, 1961, के प्रावधान 194 जे के अनुसार, व्यवसायिक तथा तकनीकी सेवाओं हेतु शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती ऐसे शुल्कों के 10 प्रतिशत की दर पर की जानी है। आगे, उसी अधिनियम की धारा 201 प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कर की कटौती करने हेतु उत्तरदायी है, इसकी कटौती नहीं करता है अथवा इसकी कटौती करने के पश्चात उसका पूर्ण या कर के किसी भी भाग को सरकार को क्रेडिट करने में विफल होता है, तो ऐसे व्यक्ति उस तिथि से, जब वह कर कटौती योग्य था, से उस तिथि तक, जब उस कर की कटौती की गई, उस कर की राशि पर प्रत्येक माह अथवा एक माह के भाग हेतु एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल), मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) तथा मैसर्स आईटीआई लिमिटेड (आईटीआईएल) से बने पीएसयू के संघ (संघ) के साथ एक अनुबंध किया (फरवरी 2012)। इस संघ को सामूहिक रूप से सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करके तहसील स्तर पर सूचना की विशिष्ट मदों पर सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना हेतु डाटा के सग्रंहण, समेकन तथा अद्यतन का कार्य सौंपा गया था। कार्य में एक ड्राफ्ट कार्य सूची को तैयार करना एवं मुद्रण, सुधारों को शामिल करना तथा इसके पश्चात्, एक अंतिम सूची तैयार करना भी शामिल था। इस उद्देश्य के लिए, संघ को सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनगणना के कार्यान्वयन हेतु एप्लिकेशन साफ्टवेयर का विकास, परिनियोजन तथा रख-रखाव करना था।

अनुबंध की धारा 11.8.1 के अनुसार, प्राधिकारियों द्वारा संघ को सभी भुगतान आयकर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के तहत थे।

संघ द्वारा प्रदत्त सेवा व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रकृति की थी तथा इसलिए 10 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर की कटौती के अधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन फर्मों को मार्च 2018 में किए गए कुल ₹72.16 करोड़ के भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी, जैसा **अनुलग्नक-10.1** में विवरण दिया गया है।

इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों तथा अनुबंध की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹7.21 करोड़ के कर की गैर कटौती हुई। यह एक सांविधिक गैर अनुपालन है जो मंत्रालय को, ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी बनाता है जैसा कि पहले उप पैरा में उल्लेख किया गया है। यह मंत्रालय में भुगतान चरण पर आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने की भी मांग करता है।

इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2020) कि 2018-19 के दौरान किए गए कुछ भुगतानों के सिवाय सीपीएसयू को किए गए भुगतानों के प्रति किसी टीडीएस की कटौती नहीं की गई थी।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

10.2 निधियों का अवरोधन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी नई इमारत के निर्माण के लिए राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात को दिसंबर 2012 में ₹2.90 करोड़ जारी किए परंतु वह उसके उपयोग का अनुवीक्षण करने में विफल रहा। निर्माण अभी भी प्रारम्भ किया जाना है तथा निधियां सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रही है।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2005[1] का नियम 212 उपयोग प्रमाण पत्रों (यूसी) की क्रियाविधि के माध्यम से अनुदानों का अनुवीक्षण करना

[1] सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 238 में सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए समरूप प्रावधान हैं।

निर्धारित करता है। केवल यह सुनिश्चित नहीं करता कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हे संस्वीकृत किया गया था बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अप्रयुक्त निधियाँ सरकार को अम्यर्पण की गई है।

सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान (एसपीआईपीए) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) को अहमदाबाद में अपने परिसर में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) हेतु एक नई इमारत[2] के निर्माण का प्रस्ताव किया (जनवरी 2012)। इसे एमओआरडी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के एक तकनीकी दल की स्थल दौरा रिपोर्ट की प्राप्ति के तहत ₹5.46 करोड़ की कुल लागत पर अनुमोदित (जनवरी 2012) किया गया था।

एनआईआरडी के तकनीकी दल ने स्थल का दौरा किया (मार्च 2012) तथा एसआईआरडी को एक विस्तृत मद वार अनुमान तथा दर विश्लेषण प्रदान करने को कहा। एसआईआरडी ने तदनुसार ₹5.81 करोड़ की इमारत हेतु एक संशोधित लागत अनुमान तैयार किया जिसकी एनआईआरडी द्वारा सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात, एमओआरडी ने ₹5.81 करोड़ की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसबंर 2012) जिसे इमारत परिसर के निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान के रूप में दिया जाना है। उसने प्रथम किस्त के रूप में एसआईआरडी को ₹2.90 करोड़ का अग्रिम भी जारी किया (दिसंबर 2012)। इस राशि का 18 महीनों के भीतर उपयोग किया जाना था तथा अप्रयुक्त निधि का अभ्यर्पण किया जाना था जब तक कि अन्यथा प्राधिकृत न हो।

बाद में, एसआईआरडी ने एनआईआरडी को सूचित किया (सितबंर 2013) कि प्रस्तावित कार्य स्थल पर जांच[3] में मृदा की गुणवत्ता को खराब पाया गया था इसलिए "पाइल फांउडेशन" की आवश्यकता है जिससे अनुमानित लागत में ₹8.28 करोड़ तक संशोधन होगा। उत्तर में, एनआईआरडी ने एसआईआरडी से अनुदान की ₹2.90 करोड़ की प्रथम किस्त तथा उस पर अर्जित ब्याज के उपयोग की स्थिति के संबंध में पूछताछ की (सितबंर 2013)। लेखापरीक्षा ने

---

[2] इसमें प्रशासनिक ब्लॉक तथा होस्टल शामिल हैं।

[3] मृदा की जांच अहमदाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं योजना केन्द्र के संरचनात्मक अभियंता द्वारा की गई थी।

पाया कि न तो एसआईआरडी ने पूछताछ का उत्तर दिया था और न ही एनआईआरडी/एमओआरडी ने इस मामले में उनसे आगे कोई पूछताछ की थी। यह नवम्बर 2018 में अर्थात् कार्य हेतु निधियों के निर्गम के लगभग छः वर्षों के पश्चात अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के एक दौरे के दौरान उजागर हुआ कि निर्माण कार्य को भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था।

इसके पश्चात् (दिसबंर 2018) मामले को गुजरात राज्य सरकार (एसजीओजी) के साथ उठाया गया था तथा एसआईआरडी को उनके पास पड़ी राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा गया। उत्तर में, एसजीओजी ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि नए प्लाट की पहचान की गई थी तथा कार्य के संबंध में आगे की प्रक्रियाएं[4] प्रगति में थी। एमओआरडी ने फिर एसजीओजी को एक माह के भीतर अर्जित ब्याज सहित उपलब्ध राशि पर सूचना प्रस्तुत करने तथा इमारत हेतु विस्तृत योजना तथा अनुमान प्रस्तुत करने का निदेश दिया (मार्च 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसजीओजी ने एसआईआरडी की संरचना तथा अपने शासी निकाय में परिवर्तन के संबंध में आठ महीनों के पश्चात उत्तर दिया। उन्होंने अनुदान पर ब्याज सहित ₹4.22 करोड़ की राशि की निधियों की उपलब्धता की भी सूचना दी तथा यह भी बताया कि गुजरात सरकार के सड़क एवं इमारत विभाग को नई इमारत के लिए योजनाएं एवं अनुमान तैयार करने का अनुरोध किया गया था। एमओआरडी ने एसआईआरडी को एनआईआरडी के तकनीकी दल की संवीक्षा हेतु एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2019)। तथापि, इस संबंध में एसआईआरडी अथवा एसजीओजी से कोई आगे की सूचना प्राप्त नहीं की गई थी।

मामले को जनवरी 2020 में एमओआरडी के संज्ञान में लाया गया था; एमओआरडी ने बताया (नवंबर 2020) कि उन्होंने जून 2020 में नवीनतम सचिव के स्तर से एसजीओजी को उपार्जित ब्याज सहित अप्रयुक्त राशि की वापसी के लिए कई संसूचनाएं जारी की।

---

[4] जैसे अभिन्यास योजना तैयार करना, वार्षिक अनुरक्षण संविदा से इमारत अनुमोदन, निविदांए निर्गत करना आदि

इस प्रकार, जीएफआर के उल्लंघन में, एसआईआरडी को जारी अनुदान के उपयोग का अनुवीक्षण करने में एमओआरडी विफल रहा। यह कुल ₹2.90 करोड़ राशि की निधियों का एसआईआरडी के पास सात वर्षों से अधिक समय के लिए अवरूद्ध रहने का कारण बना। इसके अतिरिक्त संस्थान ने इस राशि पर ब्याज को रोक कर रखा जो अन्यथा भारत सरकार को उपार्जित होना चाहिए था। आगे कार्य का प्रत्याशित उद्देश्य, जो संस्थान को अनिवार्य अवसरंचना प्रदान करना था, अपूर्ण रहा।